मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का प्रभाव

डॉ. जयसिंह यादव,

आकाशवाणी के सामने, ठाटीपुर गाँव, गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.), भारत–474002

आयोग के कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है:–

अस्तित्व एवं विकास

अक्टूबर 1993 में स्थापना के बाद से लगातार आयोग के पास शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पता चलता है कि आयोग की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो रहा है।

स्वाधीनता

किसी भी राष्ट्रीय संस्था के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि वह संस्था किसी भी तरह के दबावों से मुक्त हो। इन दबावों से मुक्त होकर ही आयोग सही एवं निष्पक्ष कार्य कर सकता है।

उचित संस्थान

तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि संस्था के पास पर्याप्त स्रोत रहें। केन्द्रीय सरकार संसद की सहमति से आयोग को वित्तीय स्रोत प्रदान करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से आयांग अपना वार्षिक बजट तैयार करता है। वित्त मंत्रालय गृह मंत्रालय के द्वारा आयोग को पैसा मुहैया कराता है आयोग का वार्षिक बजट 1.5 करोड़ से बढ़का 2.45 करोड़ हो गया है।

प्रकार्यात्मक क्षमता

एक राष्ट्रीय संस्था के लिए यह जरूरी है कि उसकी क्रियात्मक क्षमता प्रभावी हो। कार्य चयन एवं नीतियरों के क्रियान्वयन की सभी प्रक्रियायें आयोग की कार्यगत क्षमता को प्रदर्शित करती है। वर्तमान समय में आयोग के पास 282 कर्मचारीगण हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित हैं।

दायित्व बोध

एक राष्ट्रीय संस्था के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करें। इसी आधार पर वह लोगों का विश्वास जीत सकती है। इस प्रसंग में आयोग विभिन्न मंत्रालयों एवं प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करता है और जनसामान्य के जीवन में उपस्थित समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करती है।

जबावदेहिता

आयोग जनता, सरकार एवं संसद के प्रति जवाबदेह है। आयोग अपनी गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट संसद एवं राज्य विधान सभाओं को सौंपता है। इस प्रतिवेदन पर संसद एवं विधानसभाओं में बहस होती है। आयोग ने अपने तीन वार्षिक रिपोर्ट संसद पर सौंपे हैं।

1993 में आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रारंभ हुआ। लगभग पांच वर्षों की संक्षिप्त अवधि में आयोग ने मानव अधिकारों के प्रति लोगों को सजग किया है। मध्यप्रदेश राज्य की भूमिका एवं क्रियात्मक स्वरूपों की जांच–पड़ताल की है। नौकरशाही के

गलत एवं आतंककारी कदमों की आलोचना की है। आयोग ने एक संस्कृति का विकास किया है। लेकिन म.प्र. जैसे राज्य में जहां चुनौतियों विविध हाँ, समस्याएं विकराल हों, सामाजिक विषमता अधिक हों, आयोग का काम एवं दायित्व और गुरूत्तर हो जाता हैं

मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले आयोग को हमेशा यह शिकायत रहती है कि उनके द्वारा की गई अनुशंसाओं में विभागीय जांच में व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया जाता है इसका उल्लेख विभाग ने अपनी बेबसाइट के वार्षिक प्रतिवेदन 2005–2006 में किया है। इसमें कहा गया है कि जांच करने पर आयोग कभी–कभी यह पाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी या प्राधिकारी ने किसी व्यक्ति के मानवधिकारों का उल्लंघन किया है और ऐसे प्रकरणों में किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है और ऐसे प्रकरणों में आयोग उस कर्मचारी या प्राधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई अनुशांसित करता है। फिर ऐसा भी होता है कि कालांतर में ऐसे कर्मचारी या प्राधिकारी दोष से मुक्त कर दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग की अनुशंसा निरर्थक हो जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जेम्स, चिरण्यकाण्घूत ''ह्यूमन राइट्स इन इंडिया कन्सेप्ट्स कन्टेक्सट्स'' , कन्टेम्परेरी साउथ एशिया, खण्ड –2 संख्या 3
2. कपूर ए.सी. राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त, एस चाँद कम्पनी (प्रा.)लिमिटेड, नई दिल्ली, 1987
3. कुमार, डॉ. प्रमिला म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन
4. लॉवसन, एडवर्ड मानव अधिकार का विश्वकोष, यू.के. टेलर
5. मणि, वी.एस ''भारत में मानव अधिकार एक पुनरावलोकन, (मानव अधिकार पर विश्व कांग्रेस संस्थान का पत्र संख्या 4, जनवरी 1997)
6. पिअेरेक्लाइड रिचर्ड एवं एच. बेस्टन विश्व समुदाय में मानवाधिकार फिलेडेलेफिय वर्नूस यूनिवसिटी ऑफ पेनसिलवानिया प्रेस 1989

Copyright © 2017, Dr. Jaisingh Yadav. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.